बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सोलर पार्क विकसित करने को एक रुपये में मिलेगी जमीन

यूपीडा 25 वर्ष की लीज पर देगा 1500 हेक्टेयर जमीन

लखनऊ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सोलर पार्क विकसित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने के उद्देश्य से यूपीडा की ओर से तैयार 296 किमी लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बिल्ड, ऑन एंड ऑपरेट मॉडल पर विकसित किया जाएगा। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सोलर पार्क की स्थापना के लिए करीब 1500 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध होगी। योजना के तहत डेवलपर को 25 वर्ष के लिए यूपीडा लीज पर जमीन देगा। जमीन एक रुपये प्रति वर्ष के लीज रेंट पर मिलेगी। बुंदेलखंड का क्षेत्र सोलर ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त है। पीक सोलर समय, जो देश में 3 से लेकर 7.5 तक है इसके सापेक्ष बुंदेलखंड में यह 5 से 5.50 के बीच है। इस आधार पर 450 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन होगा। ब्यूरो

मोटे अनाज की एमएसपी पर खरीद करेगी सरकार

मक्का, बाजार व ज्वार की खरीद नीति को मंजूरी

लखनऊ। प्रदेश सरकार 31 दिसंबर तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद करेगी। इसके लिए कैबिनेट ने मंगलवार को मोटे अनाज क्रय नीति को मंजूरी दे दी। मक्का 2225 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा 2625 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार (हाईब्रिड) 3371 रुपये प्रति क्विंटल और ज्वार (मालदांडी) 3421 रुपये प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मक्का की खरीद 19 जिलों में, बाजरा की खरीद 32 जिलों में और ज्वार की खरीद 11 जिलों में की जाएगी। मक्का के कुल 60 क्रय केंद्र, बाजरा के 275 और ज्वार के 70 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। ऑनलाइन पंजीकृत किसानों से यह खरीद होगी। ब्यूरो

आईटी सेक्टर को मिला उद्योग का दर्जा

जमीन से लेकर बिजली तक मिलेगी सस्ती

लखनऊ। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) व सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि आईटी सेक्टर की तेज वृद्धि के लिए ये फैसला लिया गया है। अब आवास विकास प्राधिकरणों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में औद्योगिक श्रेणी के तहत वर्गीकृत भूमि को आईटी इकाइयों को औद्योगिक दर पर जमीन मिल सकेगी। इस सेक्टर की नई इकाइयों जिनका न्यूनतम लोड 150 किलोवाट है, उन्हें औद्योगिक दरों पर बिजली उपलब्ध होगी। इससे उनका मुनाफा बढ़ेगा जिसका असर विस्तार और रोजगार सृजन में मिलेगा। इस फैसले से प्रदेश में आईटी सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। ब्यूरो